राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग

कमाकः-प.19(01)न्याय / 2020 / पार्ट

जयपुर, दिनांक : 1 3 1406 2071

:: NOTIFICATION::

Judicial Officer who retire on or after January 1, 2016, and whose increment becomes due on the next day following their retirement, upon completing one year of satisfactory service, shall be granted a notional increment, subject to a vertical ceiling of Rs. 2,24,100/. This Increment shall be considered as emoluments for pension purposes only and shall not be considered for gratuity, Commutation, and encashment of unutilized privilege Leave.

"The benefit of this increment shall be notional from January 1, 2016, to May 18,2023, and cash benefits shall be allowed from May 19, 2023 (the date of the Hon'ble Apex Court Decision) Onwards."

This issues with the approval of Competent Authority.

राज्यपाल के आदेश से.

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 🗸 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवानें हेत्।

8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, विधि